

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश
"मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन"

17, अरेरा हिल्स, भोपाल, पोस्ट बाक्स नं. 1164

दूरभाष- 2571924, 2550446, 2553305, 2551282 फ़ैक्स- 0755-2555162,

E-Mail: sveepmp@gmail.com, chiefelectoralofficermp@gmail.com

Web-site: www.ceomadhyapradesh.nic.in, Facebook : chiefelectoralofficer MP

फा.क्र. 34 / स्वीप / 2013 / 1547
प्रति

भोपाल, दिनांक 07/02/14

आयुक्त
जनसंपर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन
बाणगंगा, भोपाल

विषय:- स्वीप से संबंधित विज्ञापन जारी करने बाबत।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मतदाताओ को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप (Systemetic Voter's & Electoral Participation) के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के लिये स्वीप पार्टनर की भागीदारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के लिये संलग्न विज्ञापन मध्यप्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 08.02.2014 अथवा 09.02.2014 किसी एक दिन को विज्ञापित करने का कष्ट करें।

संलग्न(विज्ञापन)



(संजय सिंह बघेल)
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी
मध्यप्रदेश

फा.क्र. 34 / स्वीप / 2013 / 1548
प्रतिलिपि:-


भोपाल, दिनांक 07/02/14

1. म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन, कृपया संलग्न विज्ञापन तथा संलग्नक आयोग के निर्देश वेब साइट ceomadhyapradesh.nic में प्रदर्शित कर प्रमाण-पत्र दें।

संलग्न विज्ञापन तथा-3परिपत्र



(संजय सिंह बघेल)
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी
मध्यप्रदेश



कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकार मध्य प्रदेश
“मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन”
17, अरेरा हिल्स, भोपाल, पोस्ट बाक्स नं. 1164



फा.क्र.34/स्वीप/2013/1549

भोपाल, दिनांक 7/02/14

विज्ञापन

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 17 निर्वाचन सदन, अरेरा हिल्स, भोपाल के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के तहत तथा मध्यप्रदेश राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप (Systematic Voter Education & Electoral Participation) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वीप हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों व शर्तों के तहत सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन, मिडिया ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट हाउस, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां इत्यादि से स्वीप में भागीदारी हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इच्छुक संस्थाएं दिनांक 28.02.2014 तक अपराह्न 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र कार्यालय में अथवा ई-मेल के माध्यम से sveemp@gmail.com पर भेज सकते हैं। पार्टनरशिप के नियम व निर्देशों का अवलोकन कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर किया जा सकता है। संस्थाओं का चयन निर्धारित शर्तों के तहत तथा भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति पर किया जा सकेगा। आवेदन पत्र स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के पास रहेंगे।

(संजय सिंह बघेल)
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी(स्वीप)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय
भोपाल, मध्यप्रदेश